



बिहार BIHAR

F 034739

बसीम अहमद खा  
स्टाम्प थंकर  
रजिस्ट्री ऑफिस हाजीपुर  
नॉ. नं०-7/2017

1451  
30/6/12



1. नाम मनमोकिर :- 1. श्री उपेन्द्र सिंह वो 2. श्री रविन्द्र सिंह वो 3. श्री सुरेन्द्र सिंह वो 4. श्री वीरेन्द्र सिंह सभी पिता स्व० हरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम चमरहरा, थाना महनार सदर रजि० वो जिला वैशाली हाजीपुर नागरिकता भारतीय।
2. बाम मोकिर अलह :- में० वैशाली एडुकेशनल एवं बेलफेयर ट्रस्ट चकरहरा (जगदीशनगर) महनार रोड जिला वैशाली पिन- 844507 (बिहार) रजिस्ट्रेशन नं० 34292/11 द्वारा अध्यक्ष प्रो० आशा देवी पिता स्व० बिन्दा सिंह निवासी ग्राम पोहियार थाना देसरी सदर रजि० वो जिला वैशाली हाजीपुर नागरिकता भारतीय।
3. किस्मवसिका :- लीज ग्यारह (11) साल के लिए

30/6/12  
Notary Public  
Patna (V.S. Sadi)





बिहार BIHAR

13135 क. प्रमाण

176449

13134  
4/11/12

4. लीज सम्पत्ति का किराया :- खाली जमीन जो 14 डी० है उसका  
2100/- एकक्रीस सौ रूपया प्रति माह वो भी मकान निर्मित का निचला तल्ला  
01.01.2013 से 5100/- एकावन सौ रूपया प्रतिमाह

14/5  
20/6/12

5. लीज सम्पत्ति का विवरण :- केवाला दिनांक 06.04.1972  
मौजे घमरहरा थाना वो अंचल महनार थाना नं० 576 जिला वैशाली  
नया खेसरा नं० 1650 वो 1651 मिनजुमल रकवा 8 कड्डा 5 धुर का चौथाई  
हिस्सा 2 कड्डा सवा धुर  
चूंकि केवाला 4 आदमी के द्वारा खरीदा गया है उसमें लीजकर्ता के  
पिता का हिस्सा एक चौथाई है।



2. केवाला दिनांक 20.08.2001

मौजा खेसरा नं० 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, मिनजुमल

कुल रकवा 14 डी० सम्पूर्ण रकवा 23 डी०

जिसमें खेसरा नं० 1650 वो 1651 वो 2 कड्डा सवा धुर पर दो मंजीला पक्का  
उतवार मकान स्थित है जो 3000 वर्गफीट में बना है तथा बाकी 14 डी०  
खाली है। निम्नलिखित शर्तों के आधार पर यह लीज दिया जाता है।

30/6/12  
Attested  
Notary Public  
Vaisali

1. यह कि उक्त लीज वाली सम्पत्ति का भुगतान वार्षिक होगा जो अगले वर्ष के प्रथम माह जनवरी के पहला सप्ताह में देय होगा।
2. यह कि उस मकान का रख रखाव द्वितीय पक्ष किया करेंगे तथा उसमें किसी प्रकार का कोई अवैध कार्य नहीं करेंगे। यदि किसी प्रकार का कोई अवैध कार्य करेंगे तो जिम्मेदार द्वितीय पक्ष होंगे।
3. यह कि प्रत्येक तीन वर्ष पर लीज सम्पत्ति के किराया दस प्रतिशत बढ़ोतरी की जाएगी।

यह कि लीज सम्पत्ति लीज अवधि के पूर्ण होने के पश्चात् यथास्थिति में प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष सुपूर्द करेंगे।

5. यह कि दोनों पक्षों में यदि सहमति कायम रही तो लीज अवधि का विस्तारीकरण भी आगे की जा सकती है।

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष

30-12-18  
गोन्दू सिंह

हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष


आशा देवी

30-12-18  
गोन्दू सिंह  
गोन्दू सिंह

हस्ताक्षर गवाह  
① रामदेव सिंह

② राधा देवी

1451  
30/6/18



30/6/18  
Notary Public  
Jalandhar